न्यायालय श्रीमान अपर आयुक्त महोदय (राजस्व) इंदौर म.प्र.

16445 आवक/गार्ड प्रथम 8/16

PBR/निगरानी/खण्डवा/भू.रा./2018/0643

1. सोनईबाई पति बाबूलाल निवासी ग्राम काकरिया
   तहसील व जिला खंडवा

...आवेदिका

विरुद्ध

1. सुरेश पिता कोरजी निवासी ग्राम टिटगांव
2. दुर्गाबाई पति महेश (स्व. पिता कोरजी)
3. मनोज पिता महेश
4. गुड्डी पिता महेश
5. कोसरबाई पति कोरजी
6. कमलाबाई पिता कोरजी
7. म.प्र. शासन
   सभी निवासी ग्राम टिटगांव तहसील व जिला खंडवा

...अनावेदकगण

कार्यालय आयुक्त इन्दौर संभाग इन्दौर
श्री ह्रीरालाल ठाकरे
प्रार्थी/अभिभाषक द्वारा दिनांक 26-12-2017
को प्रस्तुत।
1070
26-12-2017
अधीक्षक
आयुक्त कार्यालय

रिवीजन अंतर्गत धारा-50 म.प्र. भू.रा.स. के अंतर्गत

आवेदिका का निम्न निवेदन है:-

प्रस्तुत राजस्व रिवीजन माननीय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व खंडवा के द्वारा अपील 14-ए/27-14-15 टिटगांव सुरेश पिता कोरजी व अन्य विरुद्ध सोनईबाई पति बाबू में पारित आदेश दिनांक 28.3.17 से दुखित व पीडित होकर अन्य आधारों के अलावा निम्न

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक PBR/निग./खण्डवा/भू.रा./18/643 जिला खण्डवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16-4-18	आवेदक अधिवक्ता श्री हीरालाल ढाकसे द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया। आवेदक द्वारा निगरानी मेमो के साथ अनुविभागीय अधिकारी के वादग्रस्त आदेश दि. 28.3.17 की सत्यप्रतिलिपि संलग्न नहीं कर छायाप्रति संलग्न की गई है, जबकि आवेदक को अनुविभागीय अधिकारी के वादग्रस्त आदेश की सत्यप्रतिलिपि प्रस्तुत करना चाहिये था, इसके अतिरिक्त अनुविभागीय द्वारा अंतिम प्रकृति का आदेश पारित किया गया है और SDO के अंतिम आदेश के विरुद्ध म.प्र.भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 44 के अंतर्गत आयुक्त न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने का प्रावधान है और अपीलीय आदेश के विरुद्ध निगरानी प्रतिबंधित है। अतः यह निगरानी वैधानिक प्रावधानों के अनुरूप प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण अग्राह्य की जाती है। अध्यक्ष	

[कृ. प. उ.